

26.08.2024 पगावली पेश। -चुंकि मूल दावा जरिये अदालत
हाजेरी, अदालत पैली से खारिज किया चुका है
अतः कार्यवाही चलाये जाने का कोई आदेश
नहीं है इसलिए उपरोक्त पत्र को भी इसी
दफ्तर पर खारिज किया जाता है।
पगावली कैमल कुमार ठोकर नेकर से
वसु से जाकर दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालोर)

